संचालनालय कोष एवं लेखा
म0प्र0

क्रमांक/DTA/E- payment/ 416 भोपाल, दिनांक 30.12.16

प्रति,

समस्त कोषालय अधिकारी,
म0प्र0 भोपाल।

विषय: - असफल ई-भुगतान बाबत्।

संदर्भ: - म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय क 577/आर-954/16/बी-1 चार भोपाल, दिनांक 25.05.2016.

म0प्र0 शासन वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार 'अब ई-भुगतान असफल होने पर बैंक द्वारा बैकर्स चैक जारी नहीं किये जाएगें। इसके स्थान पर किसी कार्य दिवस पर प्राप्त असफल भुगतानों को उसी दिन लोक लेखा निक्षेप जमा शीर्ष 8443-101-0120 असफल ई-संव्यवहार में चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा।''

उक्त प्रकिया के कियान्वयन हेतु बैक एवं सी-एस.एफ.एम.एस. सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन प्रगति पर है। संशोधन पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही संपादित करना सुनिश्चित करें।

1. असफल ई-भुगतान के बैंक द्वारा प्रदाय किये जाने वाले बैंकर्स चैक के स्थान पर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के प्रत्येक कार्यदिवस के चालान बैंक द्वारा लोक लेखा निक्षेप जमा शीर्ष 8443-101-0120 में जमा कर चालान की प्रतियां हितग्राहियो की सूची के साथ संबंधित कोषालय अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

2. कोषालय अधिकारी उक्त चालान की एक प्रति हितग्राहियों की सूची के साथ आहरण संवितरण अधिकारी को प्रेषित करेंगे। साथ ही उक्त चालान की एक प्रति कोषालय मे सुरक्षित रखी जावेंगी।

3. आहरण संवितरण अधिकारी ऐसे सभी सफल संव्यवहारो का सत्यापन तथा असफल संव्यवहारों के बैंक खाते के विवरण को अद्यतन करेगा तथा उसी रीति/प्रकिया का अनुसरण करते हुए पुनर्भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करेगा जैसा कि निक्षेपों के विरूद्व भुगतान के लिए किया जाता है। किसी भी स्थिति में एक वेण्डर से संबंधित असफल भुगतान की राशि का भुगतान अन्य वेण्डर के खाते में या अन्य किसी शासकीय खाते में नहीं किया जा सकेगा।

4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में देयक के साथ चालान संख्या हितग्राही का नाम, हितग्राही के बैंक के विवरण, असफल भुगतान का दिनांक एवं राशि के विवरण के साथ देयक प्रस्तुत किया जावेगा।

5. कोषालय अधिकारी अपने एजेंसी बैंक से समन्वय स्थापित कर तत्काल उपरोक्त प्रकिया का पालन सुनिश्चित करें तथा ऐसे बैंक खातो की जानकारी तत्काल प्रस्तुत करें जिनमें शासकीय अधिकारी के पदनाम से खोले गए खातो में बैकर्स चेक की राशि जमा की गई है।

आयुक्त
कोष एवं लेखा

poonam182

पृ. क्रमांक/DTA/E- payment/417 भोपाल, दिनांक 30-12-2016

प्रतिलिपि: -

1. सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी(प्रथम) ग्वालियर, म0प्र0।
3 रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय जबलपुर, म0प्र0
4 समस्त विभागाध्यक्ष, म0प्र0 शासन
5.. समस्त संभागायुक्त, म0प्र0, की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त कलेक्टर्स, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक सेंट्रल बैक आफ इंडिया,9 अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल /महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय भोपाल/महाप्रबंधक,यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, अरेरा हिल्स, भोपाल/महाप्रबंधक इलाहाबाद बैक गौतम नगर , भोपाल की ओर लेख है कि कृपया अपने अधीनस्थ शाखाओं को आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए बैंकिग सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने का कष्ट करें।

आयुक्त
कोष एवं लेखा

...Pradesh
2017
Reg No 352
Receipt Clerk
High Court Jabalpur

DRIC
06.02

poonam183

मध्यप्रदेश शासन

वित्त-विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्र. 5087/R-954/16/B-1/चार

प्रति, भोपाल, दिनांक 25/5/2016

शासन के समस्त विभाग,

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त संभागायुक्त

समस्त कलेक्टर,

मध्यप्रदेश ।

विषय:-''असफल ई-भुगतान'' बाबत्।

संदर्भ:-म.प्र.शा. वित्त विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 1-11/2010/नियम/चार,भोपाल दि.16.09.2010

---0---

वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 से शासकीय देयकों के आहरण हेतु ''ई-भुगतान'' प्रारंभ किया गया है। उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से राशि रू. 1000/- से अधिक के लिए ''ई-भुगतान'' अनिवार्य किया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुए अनुबंध दिनांक 17.01.2011 के अनुसार, गलत बैंक विवरण दर्ज होने के कारण ई-भुगतान असफल होने पर संबंधित बैंक द्वारा हितग्राही/ डी.डी.ओ. के नाम से बैंकर्स चैक जारी किये जाते है।

म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना दिनांक 26.11.15 द्वारा MPTC-1 के परिशिष्ट-25 एवं 26 द्वारा उपरोक्त प्रकिया में संशोधन किया गया है। नवीन प्रकिया के अनुसार, ''अब ई-भुगतान असफल होने पर बैंक द्वारा बैंकर्स चैंक जारी नहीं किये जाएगें। इसके स्थान पर किसी कार्य दिवस पर प्राप्त असफल भुगतानों की राशियों को उसी दिन लोक लेखा निक्षेप जमा शीर्ष 8443-101-0120-असफल ई-संव्यवहार में चालान के माध्यम से जमा किया जावेगा।

चालान एवं असफल ई-भुगतान की मेपिंग रहेगी। ऐसे सभी जमा चालानों का विवरण इलेक्ट्रानिक माध्यम से बैंक कोषालय को उपलब्ध कराएगा, जिसे कोषालय अधिकारी द्वारा कोषालयीन लॉगिन पर साफ्टवेयर में अपलोड किया जावेगा।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी ऐसे सभी असफल संव्यवहारों का सत्यापन तथा असफल संव्यवहारों के बैंक खाते के विवरण को अद्यतन करेगा तथा उसी रीति/प्रकिया का अनुसरण करते हुए पुनर्भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करेगा जैसा कि निक्षेपों के विरूद्ध भुगतान के लिए किया जाता है। किसी भी स्थिति में एक वेण्डर से संबंधित असफल भुगतान की राशि का भुगतान अन्य वेण्डर के खाते में या अन्य किसी शासकीय खाते में नहीं किया जा सकेगा।

उक्त प्रकिया को क्रियान्वित करने हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन एवं अनुवर्ती कार्यवाही आयुक्त कोष को अधिकृत किया जाता है।

सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृ.क. 578/R-954/16/ब-1/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 25/5/2016

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (प्रथम),ग्वालियर, म.प्र.।
2. आयुक्त कोष एवं लेखा की ओर C-SFMS एवं बैंक सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार संशोधन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, म.प्र.शासन।
4. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र.।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक/उप महाप्रबंधक (शासकीय व्यवसाय) एस.बी.आई भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र.।
7. समस्त नोडल अधिकारी म.प्र. की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ।

अवर सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग